उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-171/2015/2002/71-1-2015-जी-294/2008
लखनऊ : दिनांक 04 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 ऋचा गिरि, वरिष्ठ विशेषज्ञ, फिजीशियन, जिला पुरूष चिकित्साधिकारी, उन्नाव को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रवक्ता, मेडिसिन के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3738/71-1-08-जी-294/2008, दिनॉक 24-10-2008 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए, तैनात किया गया था। मेडिकल कालेज, कानपुर में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत सेवा स्थानान्तरण अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। अन्तिम बार डा0 ऋचा गिरि की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-32/2922/71-1-14-जी-294/2008, दिनॉक 29-10-2014 द्वारा एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी गयी थी। उक्त अवधि दिनॉक 30-10-2015 को समाप्त हो गयी है। डा0 ऋचा गिरि को कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07-08-2015 द्वारा आचार्य के रूप में पदनामित किया गया है।

2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015 /1515, दिनॉक 28-07-2015 पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय मेडिकल कालेज, कानपुर के मेडिसिन विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत डा0 ऋचा गिरि की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनॉक 30-10-2015 के पश्चात् 01 वर्ष अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए बढ़ाये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या:-171/2015/2002(1)/71-1-2014- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव।
7- कोषाधिकारी, कानपुर।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
9- चिकित्सा अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।